

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2014/ 2672

दिनांक: 24.06.2014

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (नगरपालिका) (कलेक्टर),
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़,
चूरू, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा,
नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।

विषय:- नगरपालिका आम चुनाव, 2014 - निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य की 46 एवं 8 नवगठित नगरपालिकाओं (परिशिष्ट-1) के आम चुनाव माह नवम्बर, 2014 में होने हैं। आम चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना है। नगरपालिका वार्डों की निर्वाचक नामावलियों को जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुये तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से तैयार करने का दायित्व उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित किए गए अधिकारियों का है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड/परिषद/निगम के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों तथा उनकी सहायतार्थ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अपने आदेश संख्या एफ. 3(1)(1)/नपा/रानिआ/14/2345 दिनांक 26.05.2014 (परिशिष्ट-2) के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि आगामी चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जाएगा किन्तु प्रारूप प्रकाशन वर्तमान नगरपालिका मतदाता सूचियों के स्थान पर विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूची, 2014 के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड/भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करवाकर, उनसे करवाया जाए।

A- विधान सभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिका की वार्ड/भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया :-

1. आयोग स्तर पर एक स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) नियुक्त की जा रही हैं, जो इस उद्देश्य के लिए एक Software का निर्माण करेगी एवं उसका रख-रखाव व अनुरक्षण करेगी। SLA उक्त सॉफ्टवेयर के द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड/भाग के रूप में विभाजित करेगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएंगे। इन सूचनाओं के संकलन के लिए प्रपत्र-ए (परिशिष्ट-3) तैयार किया गया है, जो संलग्न हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-ए की आवश्यकतानुसार फोटो प्रति करा काम में ली जा सकती हैं।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर इन सूचनाओं के संकलन एवं मतदाता सूची संबंधी आगामी समस्त तैयारी हेतु प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी। जहां तक संभव हो निर्वाचन विभाग द्वारा नियुक्त BLO को प्रगणक के रूप में नियुक्त किया जाए। प्रगणकों की नियुक्ति में यह ध्यान रखा जाए कि संबंधित कर्मचारी किसी राजनीतिक दल एवं राजनैतिक गतिविधियों में लिप्त/संलग्न नहीं हो। प्रगणकों को नियुक्त करने के बाद उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इस प्रशिक्षण में प्रगणकों को संलग्न प्रपत्र में सूचना संकलित करने का तरीका भली-भांति समझाया जाए। प्रशिक्षण के तुरन्त बाद ही सूचना संकलन का वास्तविक कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। इस

कार्य में प्रशिक्षण दिवस सहित एक-दो दिन के समय की ही आवश्यकता होगी। यह समस्त कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के मुख्यालय पर ही प्रगणकों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर करवाया जाए ताकि यदि किसी विधानसभा की निर्वाचक नामावली के भाग में एक से अधिक वार्डों के मतदाता सम्मिलित हो तो प्रगणक उनके बारे में एक दूसरों को जानकारी देकर उन्हें नगरपालिका के लिए अलग-अलग भागों में विभाजित कर लें यह ध्यान रखा जाए कि नगरपालिका वार्ड के किसी भाग में दो वार्डों के मतदाता सम्मिलित नहीं रहें। उपर अंकित प्रपत्र में सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में प्रगणकों को विधानसभा की मतदाता सूची, वार्डों का सीमांकन (परिसीमन) के आदेश की प्रति वार्ड का नक्शा तथा यदि वार्डों को भागों में विभक्त करने की आवश्यकता है तो प्रत्येक भाग का नजरी नक्शा तथा नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची की आवश्यकता होगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रगणकों को उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

3. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि परिसीमन आदेश में जो सीमाएं अंकित हैं और उससे यह पता नहीं चले कि कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला उस वार्ड में हैं तथा वार्ड के नक्शे में भी यह पूरी तरह अंकित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका की वर्तमान मतदाता सूची के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि वार्ड में कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं। इन सूचियों में कहीं-कहीं इनका नाम अंकित होने से छूटा हुआ हो सकता है। इस स्थिति में नगरपालिका की वर्तमान वोटर लिस्ट में मकान संख्या की नई श्रृंखला शुरू हो रही हो तो उनके वोटर्स के नामों का विधानसभा की मतदाता सूची के संबंधित भाग के वोटर्स के नामों की एकरूपता के आधार पर बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला का नाम पता लगाया जा सकता है। वार्ड में कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं यह पता लगाया जाना इसलिए आवश्यक है कि विधानसभा की मतदाता सूची के भाग, अनुभागों में विभाजित हैं जिनमें किसी ना किसी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला के पूर्ण अथवा आंशिक भाग के मतदाता सम्मिलित हैं। इससे यदि वार्ड में कौन-कौन सी बस्ती/कॉलोनी/मौहल्ला हैं, इसकी जानकारी है तो यह पता लगाने में आसानी होगी कि विधान सभा के किस भाग के मतदाता किस वार्ड से संबंधित हैं।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं प्रगणक सर्वप्रथम विधानसभा की मतदाता सूची के कौन-कौन से भाग किस वार्ड में सम्मिलित हैं, ये पता लगाएंगे। यदि इस कार्य में किसी तरह की कठिनाई महसूस हो तो नगरपालिका कार्यालय के कर्मचारियों की सहायता ली जाए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए उचित रहेगा कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दिन नगरपालिका के कर्मचारियों को भी उक्त प्रशिक्षण में बुला लिया जाए।
5. संलग्न प्रारूप में सूचनाओं को अंकित करने का तरीका:-
 - प्रपत्र में ऊपर नगरपालिका का नाम एवं जिले का नाम लिखा जाएगा।
 - कॉलम नं. 1 कं. सं. के लिए हैं।
 - कॉलम नं. 2 में नगरपालिका से संबंधित विधानसभा का नाम एवं उसका नम्बर लिखा जाएगा यथा 055-सांगानेर।
 - कॉलम नं. 3 में जिस नगरपालिका वार्ड से संबंधित यह प्रपत्र है, उससे संबंधित विधानसभा के भाग का नम्बर अंकित किया जाएगा।
 - कॉलम नम्बर 4 में कॉलम संख्या 3 में अंकित भाग के मतदाताओं की कम संख्या (कहां से-कहां तक) अंकित की जाए एवं कुल मतदाताओं की संख्या Total के अन्तर्गत प्रदर्शित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 5 में नगरपालिका का वह वार्ड नम्बर भरा जाएगा जो कॉलम नम्बर 4 में अंकित विधानसभा के भाग से संबंधित है।
 - कॉलम संख्या 6 (दोनों कॉलम) काफी महत्वपूर्ण हैं। इसे भरने से पूर्व सावधानी बरती जाए। इसमें कॉलम संख्या 4 में अंकित मतदाता जो नगरपालिका के वार्ड से संबंधित हैं, की कम संख्या (कहां से-कहां तक) तथा कुल मतदाताओं की संख्या अंकित की जाएगी।
 - कॉलम नं. 7 कॉलम संख्या 6 में दर्शाए मतदाताओं के लिए नगरपालिका का मतदान केन्द्र कौनसा होगा, उसका नाम एवं नम्बर अंकित किया जाएगा। चूंकि नगरपालिका में वार्डों को भागों में विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। अतः मतदान केन्द्र का नम्बर एवं भाग संख्या दोनों समरूप होंगी।

- कॉलम संख्या 8 में कॉलम संख्या 7 में अंकित पोलिंग स्टेशन/भाग से संबंधित मतदाताओं की कम संख्या (कहां से-कहां तक) तथा कुल मतदाताओं की संख्या अंकित की जाएगी। यहां यह हो सकता है कि कॉलम संख्या 7 में अंकित कम संख्या में से कुछ मतदाता कॉलम सं. 8 में शामिल नहीं हो। यह तभी होगा जब विधान सभा के जिस भाग पर विचार किया जा रहा है उसके मतदाता एक से अधिक वार्डों में सम्मिलित हों। इस स्थिति में जिस मतदाता की कम संख्या पर वार्ड समाप्त हो जाएगा, उतने मतदाता तक ही कॉलम संख्या 7 में अंकित मतदान केन्द्र के भाग में समायोजित किए जाएंगे। शेष मतदाता जो किसी दूसरे वार्ड के होंगे उनके लिए उस वार्ड में अलग मतदान केन्द्र/भाग बनाया जाएगा अथवा उस वार्ड से संबंधित किसी अन्य मतदान केन्द्र/भाग में समायोजित किया जाएगा।
- 6. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग ने आगामी नगरपालिका निर्वाचन के संबंध में यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाएं चूंकि विधानसभा की मतदाता सूचियों के प्रत्येक भाग में भी भारत निर्वाचन आयोग ने यही मापदण्ड निर्धारित किए हुए हैं। इसलिए विधानसभा की मतदाता सूची के अधिकांश भाग नगरपालिका के वार्डों के भागों के समरूप ही होंगे।
- 7. नगरनियम/नगरपरिषद अथवा बड़ी नगरपालिकाओं में जहां वार्ड भागों में विभाजित किए जायेंगे, वहां विधानसभा की मतदाता सूची के वे भाग जो पूरे-पूरे उसी वार्ड में सम्मिलित हैं, को यथावत नगरपालिका के वार्ड के भाग के रूप में मान लिया जाएगा तथा उसका वही मतदान केन्द्र निर्धारित कर दिया जाएगा जो विधानसभा/लोकसभा चुनाव के दौरान निर्धारित किया गया था। अधिकांश मामलों में यही संभावना रहेगी। सिर्फ विधानसभा के वे भाग जिनके नगरपालिका के दो या अधिक वार्डों के मतदाता हैं, वहां विधानसभा के भाग के मतदाताओं की कम संख्या को वार्ड की सीमा तक विभाजित किया जाएगा तथा नगरपालिका के लिए उक्त विधानसभा के भाग से दो या अधिक, जैसी भी स्थिति हो, नगरपालिका के भाग सृजित कर दिए जाएंगे। अथवा यदि इस प्रकार सृजित हो रहे किसी भाग में मतदाताओं की संख्या कम है तो नगरपालिका का नवीन भाग नहीं बनाया जाकर उसी वार्ड के किसी निकटस्थ भाग में उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा।
- 8. इस प्रकार प्रणाली की सहायता से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संलग्न प्रपत्र में सूचनाएं संकलित करा उन्हें कम्प्यूटर में फीड करवाएंगे तथा एक्सल शीट में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इसके लिए आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को Username & Password जारी किया जाएगा।
- 9. आयोग द्वारा उक्त समस्त कार्य की समय सीमा 15 जुलाई निर्धारित की जाती है। आयोग को इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं के आधार पर SLA द्वारा विधानसभा की मतदाता सूचियों के डेटाबेस के आधार पर नगरपालिकाओं की वार्डवार/भागवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जो Softcopy में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रूफ रीडिंग एवं उनके द्वारा प्रस्तुत संकलित सूचना के अनुसार तैयारी की गई है अथवा नहीं, की जांच के लिए भेजी जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इसका सत्यापन करवाकर आयोग की वेबसाइट पर संशोधनों की सूचना के साथ अपलोड करेंगे। इस प्रकार प्राप्त संशोधनों को समाहित करते हुए नगरपालिका की वार्डवार/भागवार मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसको आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। उक्त सूचियों का आवश्यकतानुसार लेजर प्रिंटर से प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन करवाएंगे।
- 10. निर्वाचनों को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए मतदाता सूचियों का शुद्ध एवं अद्यतन होना आवश्यक है, अर्थात् प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में सही विवरण के साथ अंकित हो। इसका दायित्व प्रणाली से शुरू होकर जिला निर्वाचन अधिकारी तक का है। इस हेतु मतदाता सूची के तैयारी के हर स्तर पर पूर्ण सावधानी एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के यह निर्देश हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के स्तर से मतदाता सूचियों का निकटता एवं गहनता से पर्यवेक्षण किया जाए।

11. निर्वाचनों के समय मतदाता सूची में नाम नहीं होने, यहां तक की कहीं-कहीं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम तथा एक बड़े क्षेत्र यथा मौहल्ला, गली के मतदाताओं के नाम गायब हो जाने की शिकायत मिलती हैं। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद बहुतायात में मतदाताओं द्वारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कुछ समय पूर्व हुई विधानसभा व लोकसभा चुनावों हेतु किया गया होता है। इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया से विभिन्न स्तर पर अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करने एवं उचित पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए।

B. मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-
(कार्य क्रम)

क्र. सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	13.09.2014 (शनिवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	14 व 15.09.2014
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22.09.2014 (सोमवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	13, 14 एवं 21 सितम्बर, 2014
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	30.09.2014 तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	10.10.2014 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	14.10.2014 को

C. सामान्य निर्देश :-

- नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2014 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2014 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं है।
- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम नगरपालिका में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि नगरपालिका क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थानों से उसका नाम काट दिया जाए। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
- निर्वाचक नामावली वार्डवार तैयार की जायेगी। निर्वाचक नामावली के प्रारूप में आयोग द्वारा परिवर्तन किया गया है। प्रत्येक भाग की मतदाता सूची के उपर एक कवर पेज होगी जिसमें वार्ड/भाग से संबंधित विवरण होगा। इसके साथ भाग का नजरी नक्शा होगा तथा मतदाता सूची उसी प्रारूप में तैयार की जाएगी जैसा कि विधानसभा की मतदाता सूची का प्रारूप निर्धारित है। सिर्फ शीर्षक में परिवर्तन किया जाएगा शीर्षक में नगरपालिका का नाम एवं मतदाता सूची का वर्ष, विधानसभा क्षेत्र संख्या, नगरपालिका का वार्ड संख्या तथा भाग संख्या, मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक अंकित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां से भी नई कॉलोनी/बस्ती/मौहल्ला शुरू होगा उक्त विवरण के नीचे उसका नाम अंकित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली में प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों तरफ 30-30 मतदाताओं के नाम अंकित होंगे। इस तरह एक पृष्ठ पर कुल 60 नाम अंकित किए जाएंगे। निर्वाचक नामावली का प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-4 में बताया गया है।

4. नगरपालिका निर्वाचक नामावली को सुविधाजनक भागों में विभक्त किया जायेगा। एक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाएंगे। प्रत्येक वार्ड में एक से अधिक भाग हो सकते हैं किन्तु एक भाग में एक से अधिक वार्ड के मतदाता किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। प्रत्येक भाग के लिए पृथक मतदान केन्द्र होगा। इसका आशय यह है कि नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों का भाग तथा मतदान केन्द्र का क्षेत्र समरूप (Coterminous) होंगे। प्रत्येक भाग का क्रमांक-1 से प्रारम्भ होगा। नगरपालिका के ऐसे वार्ड, जिनमें 1400 से कम मतदाता हैं, में एक ही मतदान केन्द्र पर्याप्त रहेगा। अतः ऐसे वार्डों को भागों में विभाजित करने की आवश्यकता नहीं है।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार यदि किन्नर (ट्रांस जेण्डर) एवं लिंग रूपान्तरक (सेक्स चेंजर) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'अन्य' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'अन्य' अंकित किया जाए। आयोग द्वारा इस हेतु संबंधित सभी प्रपत्रों में यथा स्थान आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।
6. चूंकि नगरपालिका प्रारूप मतदाता सूचियों में मतदान केन्द्र के विवरण का भी अंकन किया जाता है, अतः मतदान केन्द्र भी प्रारूप मतदाता सूचियों के तैयार होने से पूर्व ही निर्धारित कर लिये जाये। मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में आयोग ने परिपत्र संख्या एफ 4(3)(1)नपा/रानिआ/09/2579 दिनांक 16.06.2014 से मापदण्ड निर्धारित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए हैं। जहां तक संभव हो, मतदान केन्द्र वे ही रखे जावे जो लोकसभा/विधानसभा चुनावों में रखे गए थे, ताकि मतदाता के लिए मतदान केन्द्र की पहचान आसान हो सके। मतदान केन्द्रों की संख्या निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 10.09.2014 तक आयोग को भी प्रेषित की जावे।
7. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड-8 के अनुसार मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन की सूचना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व नगरपालिका कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम दो स्थानों पर किया जायेगा। प्रकाशित होने वाला नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्रारूप-2 में विहित किया हुआ है। वार्डों की निर्वाचक नामावलियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और नगरपालिका के कार्यालयों में निरीक्षण हेतु भी उपलब्ध रखी जावेगी।
8. दिनांक 13 से 22 सितम्बर तक दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि निर्धारित है। ये दावे व आपत्तियाँ प्रारूप 3, 4, 5 या 6 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उक्त अवधि में प्रस्तुत करने के प्रावधान है। मतदान केन्द्रों के लिये पदाभिहित अधिकारियों की नियुक्ति भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाएगी जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से मतदान केन्द्रों पर उक्त अवधि में दावे और आपत्तियाँ प्राप्त कर सकेंगे। प्रगणको को भी पदाभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
9. तैयार प्रारूप मतदाता सूची की प्रति सभी पदाभिहित अधिकारियों को उपलब्ध करवाकर दिनांक 14 व 15 सितम्बर, 2014 को नगरनिगम/परिषद/बोर्ड के वार्ड/ मतदान केन्द्रों पर वार्ड सभायें आयोजित कर संबंधित भागों की निर्वाचक नामावलियों का पठन किया जायेगा तथा मतदाता सूची निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी, ताकि मतदाता इन निर्वाचक नामावलियों का अवलोकन कर या सुनकर नामावली की किसी प्रविष्टि के विवरण के संबंध में यदि कोई दावा/आपत्ति है तो मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान तिथियों में अथवा दिनांक 14 से 22 सितम्बर, 2014 के बीच अन्य तिथियों को आवेदन पत्र भरकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित अधिकारियों को दे सकें। अतः यह सुनिश्चित करलें कि अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारियों के पास पर्याप्त मात्रा में संबंधित आवेदन पत्र (प्रारूप 3, 4, 5 एवं 6) उपलब्ध हैं। पठन-पाठन के उक्त कार्यक्रम में नगरपालिकाओं के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे व क्षेत्र के लोगो को कार्यक्रम की जानकारी भी देंगे।
10. उपरोक्त आदेश के खण्ड-9 के अनुसार दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का समय 10 दिन निश्चित है और इन्हें निर्धारित प्रारूप-3, 4, 5 और 6 में प्रस्तुत किया जा सकता है। दावे व आपत्तियाँ डाक द्वारा भी भेजी जा सकती हैं। प्राप्त दावे व आपत्तियों की संक्षिप्त जांच की जाकर उनका निस्तारण

किया जायेगा। प्ररूप 3, 4, 5 और 6 का वितरण निःशुल्क किया जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा परिपत्र सं. प.4(1)(6)नपा/रानिआ/94/300 दिनांक 14.10.94 जारी किया हुआ है।

11. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियों प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियाँ दिनांक 13, 14 व 21 सितम्बर, 2014 निर्धारित की गई है। इन दिनों पदाभिहीत अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस पूर्वान्ह या अपरान्ह में उपस्थित रहेंगे।
12. मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के प्रयोजन से आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ये दावे/आपत्तियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु मतदान केन्द्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त पदाभिहीत अधिकारियों को भी दिनांक 14 से 22 सितम्बर, 2014 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। पदाभिहीत अधिकारी भी उसी दिन प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची मतदान केन्द्र पर प्रकाशित करेगा साथ ही मूल दावे व आपत्तियों को अपनी टिप्पणी सहित प्ररूप 8, 9, 10 (**परिशिष्ट कमशः 5, 6 एवं 7**) में सूची के साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगा। पदाभिहीत अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावों व आपत्तियों व अन्य प्रकार से प्राप्त दावों व आपत्तियों की सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रतिदिन अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा तथा निर्वाचको का रजिस्ट्रीकरण आदेश 1974 के खण्ड-12 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
13. दावें व आपत्तियां सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दावों व आपत्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के पास उसी दिन भेज दिया जावेगा।
14. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड-12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार की जायेगी और इसे आयोग की वेबसाईट पर इस हेतु उपलब्ध लिंक पर अपलोड करेंगे। इस प्रकार आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध निर्वाचक नामावली पूरक सूची सहित, से लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां करकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 के अनुसार किया जावेगा। अंतिम प्रकाशन के नोटिस का प्ररूप-7 आदेश में विहित है।
15. निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् संबंधित रिकार्ड अर्थात् प्रारूप निर्वाचक नामावलियां, दावों/आपत्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उन पर दिया गया निर्णय और अंतिम रूप से तैयार की गई निर्वाचक नामावलियों की प्रमाणित प्रति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा खण्ड-19 के प्रावधानों के अनुसार उसके कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
16. मतदाताओं के वार्ड/भागवार आंकड़े प्रगणकों द्वारा तैयार कर निर्धारित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। इन आंकड़ों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के कार्यालय में एक पत्रावली खोलकर उसमें पत्रित किया जावेगा तथा **परिशिष्ट-8** पर बताये गये प्रपत्र (मतदाताओं की संख्या दावों/आपत्तियों के विवरण) में एक रजिस्टर वार्डवार संधारित किया जायेगा जिसमें नगरपालिका निर्वाचक नामावलियों से संबंधित आंकड़े यथा मतदाताओं की कुल संख्या, स्त्री, पुरुष मतदाताओं की संख्या अंकित की जाकर मय गोश्वारे के संकलित किये जायेंगे। निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् उक्त रजिस्टर में संकलित आंकड़ों के आधार पर **परिशिष्ट-9** में सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा राज्य निर्वाचन आयोग को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड भेजी जाएगी। इन आंकड़ों से यह पता चलेगा कि हाल में हुई लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के तुलना में मतदाताओं में कितनी वृद्धि व कमी हुई है। असाधारण (Unusal) परिवर्तन की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं भी करें ताकि मतदाता सूची में कोई गलती ना रहें। यह सुनिश्चित किया जाए कि मतदाता सूची में पात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने से रह नहीं जाए व अपात्र का नाम नहीं रहें।

17. आयोग के परिपत्र सं० 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299, दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय नामावलियों का एक-एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क वितरण किया जाए।

18. कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों व कार्यक्रम को समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा इस आशय की सूचना हेतु पम्फलेट वितरित करवाकर प्रचारित किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण के कार्य से जोड़े ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।

19. मतदाता सूची तैयारी, प्रारूप प्रकाशन व अंतिम प्रकाशन में कम्प्यूटर स्टेशनरी व आवश्यक सामग्री कय हेतु प्रारम्भिक बजट का आवंटन यथा समय कर दिया जाएगा। मतदाता सूची की प्रारम्भिक तैयारी में लगे प्रगणकों व अन्य स्टॉफ को उचित पारिश्रमिक भुगतान के आदेश भी आयोग द्वारा यथा शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

आयोग की समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। लेकिन यदि फिर भी नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(अशोक कुमार जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.3(1)(1)नपा/रानिआ/2014/ 2673-2684
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 24.06.2014

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. निजी सहायक, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
6. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिक्षापी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका। (मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी)
9. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,। (मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी)
10. समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,। (" ")
11. समस्त अधिकारीगण, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(निर्मल कुमार जैन)
सहायक सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

46 एवं 8 नवगठित नगरपालिकाओं की सूची

क्रम. सं.	नाम जिला	नाम नगरपालिका
1.	अजमेर	1. ब्यावर नगरपरिषद
		2. पुष्कर
2.	अलवर	3. अलवर नगरपरिषद
		4. भिवाड़ी नगरपरिषद
		5. किशनगढ़बांस (नवगठित)
3.	बांसवाड़ा	6. बांसवाड़ा नगरपरिषद
		7. गद्दीपरतापुर (नवगठित)
4.	बाड़मेर	8. बाड़मेर नगरपरिषद
		9. बालोतरा नगरपरिषद
5.	बीकानेर	10. बीकानेर नगरनिगम
6.	बारां	11. छबड़ा
		12. मांगरोल
7.	भरतपुर	13. भरतपुर नगरनिगम
8.	बूंदी	14. हिण्डौली (नवगठित)
9.	चित्तौड़गढ़	15. चित्तौड़गढ़ नगरपरिषद
		16. निम्बाहेडा
		17. रावतभाटा
10.	चूरु	18. चूरु नगरपरिषद
		19. राजगढ़
11.	दौसा	20. महुवा (नवगठित)
12.	हनुमानगढ़	21. हनुमानगढ़ नगरपरिषद
13.	जैसलमेर	22. जैसलमेर नगरपरिषद
14.	जालौर	23. जालौर नगरपरिषद
		24. भीनमाल
15.	जयपुर	25. जयपुर नगर निगम
		26. बस्सी (नवगठित)
16.	झुंझुनूं	27. झुंझुनूं नगरपरिषद
		28. पिलानी
		29. बिसाऊ
17.	जोधपुर	30. जोधपुर नगरनिगम
		31. फलोदी
		32. भोपालगढ़ (नवगठित)
18.	कोटा	33. कोटा नगर निगम
		34. सांगोद
		35. कैथून
		36. ईटावा (नवगठित)
19.	नागौर	37. डीडवाना
		38. मकराना नगरपरिषद
		39. डेगाना (नवगठित)
20.	पाली	40. पाली नगरपरिषद
		41. सुमेरपुर
21.	राजसमंद	42. नाथद्वारा
		43. आमेट
22.	सीकर	44. सीकर नगरपरिषद
		45. नीमकाथाना
23.	श्रीगंगानगर	46. गंगानगर नगरपरिषद
		47. सूरतगढ़ नगरपरिषद
24.	सिरोही	48. सिरोही नगरपरिषद
		49. माउन्ट आबू
		50. शिवगंज
		51. पिण्डवाड़ा
25.	टोंक	52. टोंक नगरपरिषद
26.	उदयपुर	53. उदयपुर नगरनिगम
		54. कानोड़

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक:एफ.1(3)(1)न.पा./रानिआ/94/I/ 2345

दिनांक: 26/5/14

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (2009 का अधिनियम संख्या - 18) की धारा 13 की उप धारा (1) एवं (3) के उपबन्धों के अनुसरण में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट राजस्थान राज्य के जिले में स्थित सारणी के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्र के लिए स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं सारणी के स्तम्भ-5 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित करता है :-

सारणी

क. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/ निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	अजमेर	1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (सिटी) अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में सम्मिलित वार्ड हेतु) 2. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्या) अजमेर (विधानसभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में सम्मिलित वार्ड हेतु)	1. तहसीलदार, अजमेर 2. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, अजमेर
		ब्यावर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर	तहसीलदार, ब्यावर
		किशनगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़	तहसीलदार, किशनगढ़
		विजयनगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा	तहसीलदार, विजयनगर
		सरवाड़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरवाड़	तहसीलदार, सरवाड़
		केकड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी	तहसीलदार, केकड़ी
		पुष्कर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पुष्कर	तहसीलदार, पुष्कर
2.	अलवर	अलवर	उप खण्ड अधिकारी अलवर	तहसीलदार, अलवर
		बहरोड़	उप खण्ड अधिकारी, बहरोड़	तहसीलदार, बहरोड़
		तिजारा	उप खण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		भिवाडी	उप खण्ड अधिकारी, तिजारा	तहसीलदार, तिजारा
		खैरथल	उप खण्ड अधिकारी, किशनगढ़ बास	तहसीलदार, किशनगढ़ बास
		राजगढ़	उप खण्ड अधिकारी, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		खेड़ली	उप खण्ड अधिकारी, कतूमर	तहसीलदार, कतूमर
3.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	तहसीलदार, बांसवाड़ा
		कुशलगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़	तहसीलदार, कुशलगढ़
4.	बांसा	बांसा	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), बांसा	तहसीलदार, बांसा
		अन्ता	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), अन्ता	तहसीलदार, अन्ता
		छबड़ा	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), छबड़ा	तहसीलदार, छबड़ा
		मांगरोल	उप खण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.), मांगरोल	तहसीलदार, मांगरोल
5.	बाड़मेर	बाड़मेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	तहसीलदार, बाड़मेर
		बालोतरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा	तहसीलदार, पंचपदरा
6.	भरतपुर	भरतपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर	तहसीलदार, भरतपुर
		कामां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कामां	तहसीलदार, कामां
		नगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नगर	तहसीलदार, नगर
		डीग	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीग	तहसीलदार, डीग
		कुम्हेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्हेर	तहसीलदार, कुम्हेर
		नदबई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई	तहसीलदार, नदबई
		वैर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वैर	तहसीलदार, वैर
		भुसावर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भुसावर	तहसीलदार, भुसावर
		बयाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना	तहसीलदार, बयाना
7.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	तहसीलदार, भीलवाड़ा
		आसीन्द	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आसीन्द	तहसीलदार, आसीन्द
		गंगापुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर	तहसीलदार, सहाडु मु. गंगापुर
		शाहपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		गुलाबपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा	तहसीलदार, हुरड़ा
		जहाजपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर	तहसीलदार, जहाजपुर
		माण्डलगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़	तहसीलदार, माण्डलगढ़

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
8.	बीकानेर	बीकानेर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर (बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 30 वार्ड हेतु)	तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर
		नोखा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा	तहसीलदार, नोखा
		देशनोक	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर	तहसीलदार, मूअनि, बीकानेर
9.	बून्दी	डूंगरगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरगढ़	तहसीलदार, डूंगरगढ़
		बून्दी	उप खण्ड अधिकारी, बून्दी	तहसीलदार, बून्दी
		नैनवां	उप खण्ड अधिकारी, नैनवां	तहसीलदार, नैनवां
		केशोरायपाटन	उप खण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन	तहसीलदार, केशोरायपाटन
		कापरेन	उप खण्ड अधिकारी, तालेडा	तहसीलदार, तालेडा
		लाखेरी	उप खण्ड अधिकारी, लाखेरी	तहसीलदार, हिण्डोली
		इन्द्रगढ़	उप खण्ड अधिकारी, हिण्डोली	तहसीलदार, इन्द्रगढ़
10.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	तहसीलदार, चित्तौड़गढ़
		रावतभाटा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रावतभाटा	तहसीलदार, रावतभाटा
		कपासन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन	तहसीलदार, कपासन
		वेगूं	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वेगूं	तहसीलदार, वेगूं
		बड़ीसादड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी	तहसीलदार, बड़ीसादड़ी
		निम्बाहेड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा	तहसीलदार, निम्बाहेड़ा
11.	चुरू	राजगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़	तहसीलदार, राजगढ़
		तारानगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तारानगर	तहसीलदार, तारानगर
		सरदारशहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर	तहसीलदार, सरदारशहर
		चुरू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चुरू	तहसीलदार, चुरू
		रतननगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		रतनगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़	तहसीलदार, रतनगढ़
		राजलदेसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजलदेसर	तहसीलदार, राजलदेसर
		सुजानगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़	तहसीलदार, सुजानगढ़
		छापर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छापर	तहसीलदार, छापर
12.	दौसा	बीदासर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीदासर	तहसीलदार, बीदासर
		दौसा	उप खण्ड अधिकारी, दौसा	तहसीलदार, दौसा
		लालसोट	उप खण्ड अधिकारी, लालसोट	तहसीलदार, लालसोट
13.	धौलपुर	बांदीकूई	उप खण्ड अधिकारी, बांदीकूई	तहसीलदार, बांदीकूई
		धौलपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर	तहसीलदार, धौलपुर
		बाड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़ी	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, धौलपुर
		राजाखेड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बाड़ी
14.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा
		सागवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा	तहसीलदार, डूंगरपुर
15.	श्रीगंगानगर	सादुलशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सादुलशहर	तहसीलदार, सागवाड़ा
		गंगानगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगानगर	तहसीलदार, सादुलशहर
		करणपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर	तहसीलदार, गंगानगर
		केसरीसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, केसरीसिंहपुर	तहसीलदार, करणपुर
		पदमपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर	तहसीलदार, केसरीसिंहपुर
		गजसिंहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गजसिंहपुर	तहसीलदार, पदमपुर
		रायसिंहनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर	तहसीलदार, गजसिंहपुर
		विजयनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, विजयनगर	तहसीलदार, रायसिंहनगर
		अनूपगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़	तहसीलदार, विजयनगर
		सूरतगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़	तहसीलदार, अनूपगढ़
				तहसीलदार, सूरतगढ़

क. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
16.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	1. तहसीलदार, हनुमानगढ़ 2. उप पंजीयक, हनुमानगढ़
		पीलीबंगा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा	तहसीलदार, पीलीबंगा
		संगरिया	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया	तहसीलदार, संगरिया
		रावतसर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रावतसर	तहसीलदार, रावतसर
		नोहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर	तहसीलदार, नोहर
		भादरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा	तहसीलदार, भादरा
17.	जयपुर	जयपुर	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (तृतीय), जयपुर
		विधानसभा क्षेत्र विद्याधरनगर (वार्ड सं. 1 से 10)		
		झोटवाड़ा (वार्ड सं. 11 से 14)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय, जयपुर	उप पंजीयक (चतुर्थ), जयपुर
		सिविल लाईन्स (वार्ड सं. 15 से 23)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-द्वितीय	उप पंजीयक (द्वितीय), जयपुर
		सांगानेर (वार्ड सं. 24 से 32)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर	उप पंजीयक (प्रथम), सांगानेर
		बगरू (वार्ड सं. 33 से 36)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण)	तहसीलदार, सांगानेर
		मालवीय नगर (वार्ड सं. 37 से 46)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (पूर्व)	उप पंजीयक (पंचम), जयपुर
		आदर्श नगर (वार्ड सं. 47 से 55)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (उत्तर)	तहसीलदार, जयपुर
		किशनपोल (वार्ड सं. 56 से 66)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर	उप पंजीयक (प्रथम), जयपुर
		हवामहल (वार्ड सं. 67 से 76)	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर	तहसीलदार (कृषि भूमि रूपांतरण) जयपुर
		आमेर (वार्ड सं. 77)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर	तहसीलदार, आमेर
		कोटपूतली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	तहसीलदार, कोटपूतली
		विराटनगर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर	तहसीलदार, विराटनगर
		शाहपुरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा	तहसीलदार, शाहपुरा
		चौमू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू	तहसीलदार, चौमू
		सांभर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, फुलेरा, मु० सांभर
		फुलेरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू	तहसीलदार, मौजमाबाद
		जोबनेर	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आमेर	नायब तहसीलदार, सांभर
		किशनगढ़ रेनवाल	सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांभर	तहसीलदार, किशनगढ़ रेनवाल
		बगरू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, द्वितीय, जयपुर	तहसीलदार, सांगानेर
		चाकसू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू	तहसीलदार, चाकसू
		बस्सी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी	तहसीलदार, बस्सी
18.	जैसलमेर	जैसलमेर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	तहसीलदार, जैसलमेर
		पोकरण	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण	तहसीलदार, पोकरण
19.	जालोर	जालोर	उप खण्ड अधिकारी, जालोर	तहसीलदार, जालोर
		भीनमाल	उप खण्ड अधिकारी, भीनमाल	तहसीलदार, भीनमाल
		सांचोर	उप खण्ड अधिकारी, सांचोर	तहसीलदार, सांचोर
20.	झालावाड़	झालावाड़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालावाड़
		झालापाटन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़	तहसीलदार, झालापाटन
		पिड़ावा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पिड़ावा	तहसीलदार, पिड़ावा
		अकलेरा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अकलेरा	तहसीलदार, अकलेरा
		भवानीमंडी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमंडी	तहसीलदार, पचपहाड
21.	झुंझुनू	झुंझुनू	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	तहसीलदार, झुंझुनू
		बगड़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	तहसीलदार, झुंझुनू
		मण्डावा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुंझुनू	तहसीलदार, झुंझुनू
		बिसाऊ	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मलसीसर	तहसीलदार, मलसीसर
		चिड़ावा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	तहसीलदार, चिड़ावा
		पिलानी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	तहसीलदार, सूरजगढ़
		विद्याविहार	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	तहसीलदार, सूरजगढ़
		सूरजगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरजगढ़	तहसीलदार, सूरजगढ़
		खेतड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खेतड़ी	तहसीलदार, खेतड़ी
		उदयपुरवाटी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी	तहसीलदार, उदयपुरवाटी

क. सं.	जिले का नाम	नगरपालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1	2	3	4	5
		नवलगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
		मुकुन्दगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	तहसीलदार, नवलगढ़
22.	जोधपुर	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर, जोधपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर	1. तहसीलदार, जोधपुर (वार्ड सं. 1 से 6) 2. तहसीलदार (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 7 से 12) 3. तहसीलदार (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 13 से 17) 4. उप पंजीयक चतुर्थ, जोधपुर (वार्ड सं. 18 से 22 एवं 65)
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जोधपुर	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट-शहर, जोधपुर	1. उप पंजीयक तृतीय, जोधपुर (वार्ड सं. 23 से 27) 2. तहसीलदार (उत्तर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 28 से 32) 3. तहसीलदार (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (वार्ड सं. 33 से 37) 4. तहसीलदार भू-अभिलेख, जोधपुर (वार्ड सं. 38 से 41 एवं 47,48)
		विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, सरदारपुरा	अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट-द्वितीय, जोधपुर	1. उप पंजीयक (प्रथम), जोधपुर (वार्ड सं. 42 से 46) 2. उप पंजीयक (द्वितीय), जोधपुर (वार्ड सं. 49 से 53) 3. सहायक भू-प्रबंध अधिकारी, जोधपुर (वार्ड सं. 54 से 58) 4. सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी, जोधपुर (वार्ड सं. 59 से 64)
		फलोदी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फलोदी	तहसीलदार, फलोदी
		बिलाड़ा	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा	तहसीलदार, बिलाड़ा
		पीपाड़शहर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीपाड़शहर	तहसीलदार, पीपाड़शहर
		भोपालगढ़ (नवगठित)	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	तहसीलदार, भोपालगढ़
23.	करोली	करोली	उप खण्ड अधिकारी, करोली	तहसीलदार, करोली
		हिण्डौन	उप खण्ड अधिकारी, हिण्डौन	तहसीलदार, हिण्डौन
		टोडाभीम	उप खण्ड अधिकारी, टोडाभीम	तहसीलदार, टोडाभीम
24.	कोटा	कोटा	अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर), कोटा	1. तहसीलदार, नगर विकास न्यास, कोटा 2. तहसीलदार (भू-अभिलेख), कोटा
			सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा	1. उप पंजीयक प्रथम, कोटा 2. नायब तहसीलदार, लाडपुरा
			उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	1. तहसीलदार, लाडपुरा 2. प्रधानाध्यापक, पटवार प्रशिक्षण शाला, कोटा
		कैथून	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा	तहसीलदार, लाडपुरा
		सांगोद	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद	तहसीलदार, सांगोद
		रामगंजमण्डी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी	तहसीलदार, रामगंजमण्डी
		ईटावा (नवगठित)	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ईटावा	तहसीलदार, पीपलदा
25.	नागौर	नागौर	उप खण्ड अधिकारी, नागौर	तहसीलदार, नागौर
		लाड़नू	उप खण्ड अधिकारी, लाड़नू	तहसीलदार, लाड़नू
		झीड़वाना	उप खण्ड अधिकारी, झीड़वाना	तहसीलदार, झीड़वाना
		नावां	उप खण्ड अधिकारी, नावां	तहसीलदार, नावां
		कुचामन	उप खण्ड अधिकारी, कुचामन	तहसीलदार, कुचामन
		मकराना	उप खण्ड अधिकारी, मकराना	तहसीलदार, मकराना
		परबतसर	उप खण्ड अधिकारी, परबतसर	तहसीलदार, परबतसर
		मेड़ता	उप खण्ड अधिकारी, मेड़ता	तहसीलदार, मेड़ता
		कुचेरा	उप खण्ड अधिकारी, खीवसर	तहसीलदार, खीवसर
		मूण्डवा	सहायक कलक्टर (मुख्यालय), नागौर	तहसीलदार, मूण्डवा
		डेगाना (नवगठित)	उप खण्ड अधिकारी, डेगाना	तहसीलदार, डेगाना
26.	पाली	पाली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली	तहसीलदार, पाली
		जैतारण	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण	तहसीलदार, जैतारण

क. सं.	जिले का नाम	नगर पालिका/परिषद/निगम का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
	1	2	3	3
		सोजत सिटी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	तहसीलदार, सोजत
		सादड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, देसरी	तहसीलदार, देसरी
		बाली	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
		खुडाला फालना स्टेशन	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली	तहसीलदार, बाली
		रानी खुर्द	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रानी	तहसीलदार, रानी
		सुमेरपुर	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
		तख्तागढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर
27.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	तहसीलदार, प्रतापगढ़
		छोटीसादड़ी	उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छोटी सादड़ी	तहसीलदार, छोटीसादड़ी
28.	राजसमन्द	राजसमन्द	उप खण्ड अधिकारी, राजसमन्द	तहसीलदार, राजसमन्द
		नाथद्वारा	उप खण्ड अधिकारी, नाथद्वारा	तहसीलदार, नाथद्वारा
		आमेट	उप खण्ड अधिकारी, आमेट	तहसीलदार, आमेट
		देवगढ़	उप खण्ड अधिकारी, देवगढ़	तहसीलदार, देवगढ़
29.	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर	तहसीलदार, सवाई माधोपुर
		गंगापुरसिटी	उप जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी	तहसीलदार, गंगापुरसिटी
30.	सीकर	रामगढ़ शेखावाटी	उप खण्ड अधिकारी, रामगढ़ शेखावाटी	तहसीलदार, रामगढ़ शेखावाटी
		फतेहपुर	उप खण्ड अधिकारी, फतेहपुर	तहसीलदार, फतेहपुर
		लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़	तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़
		सीकर	उप खण्ड अधिकारी, सीकर	तहसीलदार, सीकर
		लोसल	उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़	तहसीलदार, दांतारामगढ़
		रींगस	उप खण्ड अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		खण्डेला	उप खण्ड अधिकारी, खण्डेला	तहसीलदार, खण्डेला
		नीमकाथाना	उप खण्ड अधिकारी, नीमकाथाना	तहसीलदार, नीमकाथाना
		श्रीमाधोपुर	उप खण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
31.	सिरोही	सिरोही	उप खण्ड अधिकारी, सिरोही	1. तहसीलदार, सिरोही 2. नायब तहसीलदार, सिरोही
		शिवगंज	उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज	1. तहसीलदार, शिवगंज 2. नायब तहसीलदार, शिवगंज
		पिण्डवाड़ा	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा	1. तहसीलदार पिण्डवाड़ा 2. नायब तहसीलदार, पिण्डवाड़ा
		आबू पर्वत	उप खण्ड अधिकारी, आबू पर्वत	1. तहसीलदार, आबूरोड 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
		आबू रोड	उप खण्ड अधिकारी, रेवदर	1. तहसीलदार, आबूरोड 2. नायब तहसीलदार, आबूरोड
32.	टोंक	टोंक	उप खण्ड अधिकारी, टोंक	तहसीलदार, टोंक
		निवाई	उप खण्ड अधिकारी, निवाई	तहसीलदार, निवाई
		मालपुरा	उप खण्ड अधिकारी, मालपुरा	तहसीलदार, मालपुरा
		टोड़ारायसिंह	उप खण्ड अधिकारी, टोड़ारायसिंह	तहसीलदार, टोड़ारायसिंह
		देवली	उप खण्ड अधिकारी, देवली	तहसीलदार, देवली
		उनियारा	उप खण्ड अधिकारी, उनियारा	तहसीलदार, उनियारा, मु0 अलीगढ़
33.	उदयपुर	सलूम्बर	उप खण्ड अधिकारी, सलूम्बर	तहसीलदार, सलूम्बर
		भीण्डर	उप खण्ड अधिकारी, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		कानोड़	उप खण्ड अधिकारी, वल्लभनगर	तहसीलदार, वल्लभनगर
		फतेहनगर-सनवाड़	उप खण्ड अधिकारी, मावली	तहसीलदार, मावली
		उदयपुर	1. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) उदयपुर 2. उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा	1. तहसीलदार, देवस्थान 2. तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास 3. तहसीलदार, सा. नि. वि., उदयपुर 1. तहसीलदार, गिर्वा 2. तहसीलदार, बडगांव 3. तहसीलदार, आर.एस.एम.एम

आज्ञा से,

 (अशोक कुमार जैन)
 सचिव
 राज्य निर्वाचन आयोग
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(3)(1)न.पा./रानिआ/94/I/ 2346-54

दिनांक: 26/5/14

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगररीय एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), राजस्थान।
6. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी।
7. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
8. समस्त अधिकारीगण/शाखायें, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
9. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार जैन)
26.5.2014.

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट-३

Name of the Municipality-.....

12

निर्वाचक नामावली, 2014

नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम :																				
विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :																				
नगरपालिका का वार्ड संख्या एवं आरक्षण की स्थिति :					भाग सं :															
1. पुनरीक्षण का विवरण :																				
पुनरीक्षण का वर्ष :																				
पुनरीक्षण का प्रकार :																				
अर्हता तिथि :																				
अंतिम प्रकाशन की तिथि :																				
2. वार्ड/भाग का विवरण :																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>मुख्य गांव</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>पटवार सर्किल</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>कानूनगों सर्किल</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>तहसील</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>जिला</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>						मुख्य गांव	:		पटवार सर्किल	:		कानूनगों सर्किल	:		तहसील	:		जिला	:	
मुख्य गांव	:																			
पटवार सर्किल	:																			
कानूनगों सर्किल	:																			
तहसील	:																			
जिला	:																			
3. मतदान केन्द्र का विवरण :																				
मतदान केन्द्र की संख्या व नाम :																				
मतदान केन्द्र के भवन का नाम व पता :																				
4. मतदाताओं का विवरण :																				
आरंभिक क्रम संख्या	अंतिम क्रम संख्या	मतदाताओं की संख्या																		
		पुरुष	स्त्री	अन्य	योग															

निर्वाचक नामावली, 2014

नगरनिगम/नगरप्ररिषद/नगरपालिका का नाम :

विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :

नगरपालिका वार्ड संख्या :

भाग सं :

(नजरी नक्शा अंकित किया जाना है)

निर्वाचक नामावली, 2014

नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम

विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :

नगरपालिका वार्ड संख्या :

भाग सं :

कॉलोनी/बस्ती/मौहल्ले का नाम :

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.
16.	17.	18.
19.	20.	21.
22.	23.	24.
25.	26.	27.
28.	29.	30.

निर्वाचक नामावली, 2014

नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम

विधान सभा क्षेत्र का नाम व संख्या :

नगरपालिका वार्ड संख्या :

भाग सं :

कॉलोनी/बस्ती/मौहल्ले का नाम :

31.	32.	33.
34.	35.	36.
37.	38.	39.
40.	41.	42.
43.	44.	45.
46.	47.	48.
49.	50.	51.
52.	53.	54.
55.	56.	57.
58.	59.	60.

प्ररूप 8

[illegible]

* निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा नियत सुनवाई का स्थान, समय और तारीख।

^{\$} प्रत्येक स्थान के लिए क्रमशः कम संख्या देनी होगी।

संबंध पि-पिता, मा-माता, और प-पति के रूप में कोष्ठकों में अर्थात् (पि), (मा), (प) दें।

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

मतदान केन्द्र पर प्रदर्शन की तारीख	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शन की तारीख

^{\$} प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु प्रत्येक अभिहित स्थान के लिए क्रमशः कम संख्या देनी होगी।

F:\Sanjay\GOPPS DATA\NP\F3(1 of 1) NP SEC 14.doc
36

मतदाताओं की संख्या दावे/आपत्तियों का विवरण

जिले का नाम:

नगरपालिका का नाम:

PC:\MSOFFICE\MS-DATA\NPS\X\NPS\SEC11.doc

नोट :- आदेश के बिन्दु संख्या-29 के अनुसार प्रणालक द्वारा इस प्ररूप में रजिस्टर संधारित किया जाएगा।

नगरपालिका चुनाव 2014

मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन का विवरण

जिले का नाम : नगरपालिका का नाम :

ERO का नाम व पदनाम	वार्ड संख्या	विधान सभा की अद्यतन सूची (2014) के अनुसार मतदाताओं की संख्या (न.पा. वार्ड से संबंधित)				प्रारूप प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या				अंतिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या			
		कुल	पुरुष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरुष	स्त्री	अन्य	कुल	पुरुष	स्त्री	अन्य
1	2	3.	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16

नोट :- आदेश के बिन्दु संख्या-29 के अनुसार प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के पश्चात् सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाए।